फर्द अहकाम

बनाम रामरतन कोरा

लय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

ा (17/2021) पुनः दर्ज 64/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/6/25	पत्रावली में आज पेश हुई। प्रकरण में गवाह खाली गई। क्रा-2 गवाह खाने पर वादी विक्रम व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अतः प्रथम मौका हाजरी मौका पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होना दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
18/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आ० पत्र 09 R9 CPC आवेदन को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 10/10/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली इधर उधर दिनांक 31/10/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
31/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी रामरतन स्वयं आज उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वकील वादी व प्रतिवादी द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पुनः मंगवाने आने का निवेदन किया। वकील वादी द्वारा सहमति इकरारनामा दिनांक 15/9/2025 के दस्तावेज की प्रति पेश की। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	(21/11/2025)

P.T.O